बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०2 / बोर्ड विविध–21 / 2010(खंड–III)– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल 23165.00 करोड (तेइस हजार एक सौ पैंसठ करोड़) रूपये अनुदान स्वरूप स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 1500.41 करोड़(एक हजार पॉच सौ करोड़ एकतालिस लाख़) रूपये की दर से कुल 18005.00 करोड़ (अठारह हजार पॉच करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को एवं शेष राशि 5160.00 करोड़ (पॉच हजार एक सौ साठ करोड़) रूपये उसी अवधि में प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रूपये की दर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा तत्काल माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर, 2026 तक प्रति माह 1500.41 करोड़ (एक हजार पॉच सौ करोड़ एकतालीस लाख) रूपये की दर से कुल 9002.46 करोड़ (नौ हजार दो करोड़ छियालीस लाख) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०टी०पी०सी०) को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलु उपभोक्ताओं को माह जुलाई' 25 के प्रभाव से प्रतिमाह 125 युनिट खपत तक शत्–प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 से बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लागत आधारित टैरिफ निर्धारण के पश्चात राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी प्रति यूनिट विद्युत खपत पर अनुदान का निर्धारण किया जाता है।

2. सभी घरेलु उपभोक्ताओं को 125 युनिट प्रतिमाह खपत तक शत्–प्रतिशत अनुदान के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनका मासिक खपत 125 युनिट तक है, उन्हें कोई बिजली बिल भुगतान नहीं करना पड़ता है एवं वैसे उपभोक्ता जिनका मासिक खपत 125 युनिट से ज्यादा है उन्हें भी 125 यूनिट तक कोई बिजली बिल नहीं देना होता है केवल 125 युनिट से अतिरिक्त युनिट पर "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत पूर्ववत अनुदान का लाभ लेते हुए शेष राशि का ही बिजली विपत्र भुगतान करना पड़ता है।

3. वर्ष 2017–18 के पूर्व आयोग द्वारा वितरण कम्पनियों के कुल अनुमानित लागत में राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को घटाने के पश्चात् शेष राशि के आधार पर जॉचोपरान्त टैरिफ निर्धारित किया जाता था परन्तु, वर्ष 2017–18 के लिए दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिका को शून्य सब्सिडी पर दायर की गई। विदित है कि वर्ष 2017–18 के पूर्व, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्त्ति पर वास्तविक लागत की जानकारी का सर्वथा अभाव बना रहता था तथा राज्य सरकार से दी जा रही सब्सिडी की भी जानकारी उन्हें नहीं रहती थी। अतः वर्ष 2017–18 में टैरिफ याचिका को शून्य सब्सिडी पर दायर किया गया। तद्नुसार आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 से टैरिफ का निर्धारण लागत के आधार पर सब्सिडी रहित निर्गत किया जा रहा है। इस नीतिगत निर्णय से वितरण कम्पनियों का

Aggregate Technical & Commercial Loss (AT & C Loss) में क्रमिक कमी लाने हेतु गहन अनुश्रवण भी संभव हो पा रहा है। वर्ष 2017–18 से उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत आपूर्त्ति लागत एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि विद्युत विपत्र में ही अंकित रहती है, जो पूरी तरह से पारदर्शी है।

4. इस प्रकार 2025–26 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के लिए प्रति युनिट अनुदान की राशि निर्धारित करते हुए 15995 करोड़ रूपये एवं 125 युनिट प्रतिमाह खपत तक शत्–प्रतिशत अनुदान माह जुलाई'25 के प्रभाव से देने हेतु 3797 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 19792 करोड़ रूपये ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' के तहत राज्य के दोनों वितरण कम्पनियों को उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया था।

5. बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए भी लागत आधारित टैरिफ आदेश निर्गत किया गया है। वर्ष 2025–26 की तुलना में वर्ष 2026–27 की उपभोक्ता श्रेणी के विद्युत दर में विनियामक आयोग द्वारा उर्जा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल घरेलु–।। (DS-II) और गैर घरेलू (NDS-I, NDS-II) के दोनों स्लैब को एक स्लैब में मिला दिया गया है एवं इसपर मौजूदा निचले स्लैब का ऊर्जा शुल्क प्रभावी होगा। साथ हीं, एल0टी0आई0एस0–।, एल0टी0आई0एस0–।। श्रेणी तथा गैर घरेलू–।। (0.5 किलोवाट तक) के Fixed Charge में क्रमशः 288, 360 तथा 200 रूपये/कनेक्शन/माह से घटाकर 278, 350 तथा 150 रू0 कर दिया गया है, जिससे राज्य के लगभग 60 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त मशरूम की खेती को कृषि (IAS-I) श्रेणी के अन्तर्गत शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे संबंधित उपभोक्ता को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी।

6. फलस्वरूप आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी घरेलु उपभोक्ताओं को 125 युनिट प्रतिमाह खपत तक शत्–प्रतिशत अनुदान के एवज में राशि 5160.00 करोड़ रूपये (ना0बि0पा0डि0कं0 के अंश–2736 करोड़ एवं सा0बि0पा0डि0कं0 के अंश–2424 करोड) एवं विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान (Subsidy) की राशि 18005 करोड़ रूपये (ना0बि0पा0डि0कं0 के अंश–8605.00 करोड़ एवं सा0बि0पा0डि0कं0 के अंश–9400.00 करोड़) अर्थात कुल 23165.00 करोड़ (तेइस हजार एक सौ पैंसठ करोड़) रूपये (ना0बि0पा0डि0कं0 के अंश–11341.00 करोड़ एवं सा0बि0पा0डि0कं0 के अंश–11824.00 करोड) की गणना बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) द्वारा अनुमानित विद्युत बिक्री की मात्रा के आधार पर की गई है। उपभोक्ता श्रेणीवार आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ, प्रति यूनिट सब्सिडी एवं सब्सिडी के पश्चात् प्रति यूनिट औसत टैरिफ है।

7. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल 23165.00 करोड (तेइस हजार एक सौ पैंसठ करोड़) रूपये अनुदान स्वरूप स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 1500.41 करोड (एक हजार पॉच सौ करोड़ एकतालिस लाख) रूपये की दर से कुल 18005.00 करोड़ (अठारह हजार पॉच करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को एवं शेष राशि 5160.00 करोड़ (पॉच हजार एक सौ साठ करोड़) रूपये उसी अवधि में प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रूपये की दर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा तत्काल माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर, 2026 तक प्रति माह 1500.41 करोड़ (एक हजार पॉच सौ करोड़ एकतालीस लाख) रूपये की दर से कुल 9002.46 करोड़ (नौ हजार दो करोड़ छियालीस लाख) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०टी०पी०सी०) को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता,

उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से एवं शेष प्रथम अनुपूरक में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

9. उक्त राशि एन0टी0पी0सी लि0 को पूर्व की भाँति भुगतान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अलग से प्राधिकृत किया जायेगा, जिसमें प्रति माह 1500.41 करोड़ (एक हजार पाँच सौ करोड़ एकतालीस लाख) रूपये की दर से कुल 9002.46 करोड़ (नौ हजार दो करोड़ छियालीस लाख) रूपये में से माह अप्रैल, 2026 के लिए यथाशीघ्र एवं माह मई, 2026 से माह सितम्बर, 2026 तक की अवधि के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख को अथवा अवकाश की स्थिति में इसके ठीक पूर्व कार्य दिवस को राज्य सरकार के खाते को डेबिट कर एन0टी0पी0सी0लि0 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी0ए0जी0 ब्रांच, 5वाँ तल, रेड फोर्ट कैपिटल, पार्श्वनाथ टावर, भाई वीर सिंह मार्ग, गोले मार्केट, नई दिल्ली का खाता सं0–10813608669, IFSC Code–SBIN0017313 में क्रेडिट करने का अनुदेश होगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–III) के पृष्ठ संख्या–133/टि0 पर दिनांक–29.04.2026 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–III) के पृष्ठ संख्या–136/टि0 पर दिनांक–30.04.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–III)– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–III)– 2223 /पटना, दिनांक– 04.05.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/अपर महाप्रबंधक–प्रभारी (वाणिज्यिक), एन0टी0पी0सी0–लोकनायक जयप्रकाश भवन, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.05.26

सरकार के संयुक्त सचिव।